आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com , Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933

पत्रांक दिनांक

Corrigendum-01

प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4247/PDA दिनांक 30.10.2026 के आलोक में परियोजना Remaining Work of Construction of RCC Precast Storm Water Drainage at EPIP Campus, I/A Hajipur, Phase-1 (Extension Work) के कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सं0 30/TEN/IDA/26 को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

अनु0– यथोक्त।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक 4282/PDA दिनांक 03/11/26

प्रतिलिपिः
1. निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (PI)/निदेशक (वित्त) को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता (तक0) को eproc2.0 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/11/2026

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

ज्ञापांक–प्र०–6 / द0वि0 नियम–03–08 / 06(अंश) 7461(S) / पटना, दिनांक– 13/10/2026

पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–447(S) सहपठित ज्ञापांक–448(S) दिनांक–16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (percentage rate tender) पद्धति में सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त करने के संदर्भ में आदेश निर्गत है।

उक्त अधिसूचना को निरसित करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046(S) दिनांक–06.03.2014 द्वारा निरूपित प्रतिशत दर निविदा में न्यूनतम दर सीमा 10% (दस प्रतिशत) को पुनः बहाल किया जाता है। परिमाण विपत्र से 10% (दस प्रतिशत) से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

परिमाण विपत्र के दर से नीचे निविदित दर दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :–

1. परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25% अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जाय।

2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5% अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागध्यक्ष, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06 (अंश) 4462(1) /पटना, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपि :–आई. टी. मैनेजर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं MS Word Soft Copy CD में बिहार गजट के प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव